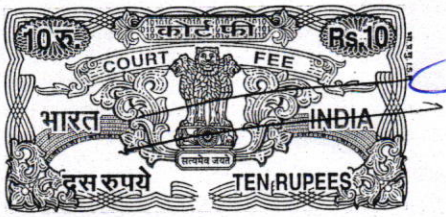

52

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

निग-3414-I/16

निगरानी प्र0क्र0 / जिला-शिवनी

श्रीमती द्रोपदी पत्नि श्री रामसिंह जाति गौंड
निवासी बम्होड़ी प.ह.नं. 01 तह. बरघाट,
जिला शिवनी म0प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, शिवनी म0प्र0 ---- अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला शिवनी के प्रकरण क्रमांक 48/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 28-7-2016 से व्यथित होकर ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, शिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम खुंट रा.नि.मं. बरघाट तहसील बरघाट जिला शिवनी को अपने अन्य भूमि को उपजाउ बनाने एवं पारिवारिक आवश्यकताओं आदि की पूर्ति हेतु

द्रोपदी विरूद्ध म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक निग0 3414–एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर, सिवनी द्वारा प्रकरण कमांक 48/अ–21/13–14 में पारित आदेश दिनांक 28–7–2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका श्रीमती द्रोपदी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम खूंट रा.नि.मं. बरघाट तहसील जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 332/2 रकबा 0.320 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरघाट को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण अपर कलेक्टर, सिवनी को प्रेषित किया । जिस पर से कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पर कि प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि,आवेदक द्वारा बताया गया कारण समाधानकारक नहीं है तथा आवेदक के पास 10 एकड़ से कम भूमि बच रही है । इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नाधीन भूमि उनके द्वारा क्रय की गई है । आवेदित भूमि उसके निवास स्थान से अधिक दूरी पर है । आवेदक के पास 1.02 हैक्टर सिंचित भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है । संहिता की धारा 165 में 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि शेष रहने के जो प्रावधान हैं, वे बंधक एवं कुर्क किए जाने के संबंध में है । जिलाध्यक्ष ने प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । उक्त आधार पर उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । 3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदिका के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर उसके द्वारा क्रय की गई है । आवेदिका आदिम जनजाति की सदस्य है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदिका को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि नोटीफाईड एरिया में नहीं आती है तथा आवेदिका द्वारा किया जा रहा संव्यवहार मिथ्या या बनावटी नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि आवेदिका द्वारा जो आधार	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 3414–एक/16 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि विकय की अनुमति दिए जाने हेतु बताए गए हैं, उनको देखते हुए आवेदिका को भूमि विकय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर बिचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–07–16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदिका को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित कृषि भूमि स्थित ग्राम खूंट रा.नि.मं. बरघाट तहसील जिला सिवनी खसरा नं. 332/2 रकबा 0.320 हैक्टर को गैर आदिवासी को विकय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016–17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विकयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।	

द्रोपदी विरूद्ध म0प्र0 शासन

निगरा. 3414-5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ। हस्ताक्षर
	4– भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	